International Journal of Home Science 2019; 5(3): 141-143

International Journal of Home Science

**ISSN:** 2395-7476
IJHS 2019; 5(3): 141-143
© 2019 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 13-07-2019
Accepted: 15-08-2019

**रेखा**
शोध छात्र गृह विज्ञान
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त)
विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

**अजरा अजाज**
सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान),
राजकीय गर्ल्स पीजी कालेज
छिंदवाडा, मध्य प्रदेश, भारत

**नीलमा कुँवर**
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत

**Correspondence**
**रेखा**
शोध छात्र गृह विज्ञान
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त)
विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

# स्वयं सहायता समूह का आत्मनिर्भरता से सम्बन्ध

**रेखा, अजरा अजाज, नीलमा कुँवर**

**सारांश**
आमतौर पर गरीब लोगों को विशेषकर महिलाओं को आपात स्थिति में पैसों की जरूरत पड़ने पर कई बार अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रायः छोटी–मोटी आवश्यकताओं के लिए मात्र कुछ रूपये का ऋण बार–बार लेना पड़ता है। ये आवश्यकताएं – बीमारी, शादी–ब्याह, मृत्यु भोज, पशु क्रय, गृह निर्माण, बच्चों की पढ़ाई, कृषि एवं भूमि सुधार के लिए, घर चलाने के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए रिश्वत देने के लिए, सामाजिक रस्मों के लिए भौतिक सुविधाओं एवं अन्य ऐसी ही छोटी–मोटी आवश्यकतायें आदि हैं जो कि अधिकांशतः उपभोग के लिए होती हैं। इतनी छोटी राशि के उपभोग के लिए ऋण बैंकों द्वारा गरीबों को नहीं उपलब्ध कराया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मित्रों एवं संबंधियों से ऋण न मिलने पर गरीब लोग साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में साहूकार गरीबों की दयनीय स्थिति का भरपूर फायदा उठाते हुए न केवल उनका आर्थिक शोषण करते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक शोषण भी करते हैं। इस प्रकार के शोषण का शिकार सबसे ज्यादातर महिलायें ही होती हैं। इस समस्या का हल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर किया जा सकता है। जब तक वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं होतीं तब तक समानता और सशक्तिकरण की सदिच्छा का कोई अर्थ नहीं होगा। यही कारण है कि भारतीय संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करने की घोषणा के बावजूद स्त्रियां दोयम दर्जे की नागरिक बनी हुई हैं। इस स्थिति में गुणात्मक बदलाव के लिए स्वयं सहायता समूह की पहल स्वागत योग्य है। महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता लाने में स्वयं सहायता समूह कारगर हो सकते हैं।

**कुट शब्दः** स्वयं सहायता समूह, आत्मनिर्भरता

## प्रस्तावना
स्वयं सहायता समूह का गठन सामाजिक एकीकरण का एक संगठन आधारित दृष्टिकोण है जो लक्ष्य निर्धारित प्रकिया से भिन्न है। यह समूह संगठन किसी लक्ष्य से बंधे हुए नहीं होते हैं वे पूर्णतः स्वयं की सहायता स्वयं करने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। महिला का शक्ति सम्पन्न होना केवल उसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, इससे बच्चों एवं परिवार के अन्य सदस्यों का जीवन भी लाभान्वित होता है। इस बात के बहुत स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से बालिकाओं एवं बालकों, दोनों की जीवन प्रत्याशा में सुधार होता है। भारतीय समाज में नारी की आर्थिकनिर्भरता व दबा हुआ होना, सामान्य अभावों के निराकरण में उसकी भूमिका को कुठित कर देता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला की भूमिका के प्रसार से महिलाओं एवं बालिकाओं के कुशलक्षेम में सुधार नहीं आएगा, बल्कि सारे समाज में व्याप्त अभावों के निराकरण में यह सहायक होगा।

## उद्देश्य
- स्वयं सहायता समूह कीं आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा अपनाये गए लघु कटीर उद्योगों का अध्ययन करना।

## अध्ययन पद्धति
शोध अध्ययन हेतु होशंगाबाद जिला का चुनाव किया गया है। इसी जिले से 20 स्वयं सहायता समूह लिए गए हैं तथा 300 निदर्श पर अध्ययन किया गया है। अध्ययन में साख्यिकीय टूल, 'टी' टेस्ट, प्रमाण विचलन तथा मध्यमान का उपयोग किया गया है।

## परिणाम

**सारिणी 1:** शैक्षणिक स्तर

| क्र0सं0 | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक/साक्षर | 165 | 55.0 |
| 2. | हाई स्कूल | 64 | 21.3 |
| 3. | हायर सेकेन्ड्री | 42 | 14.0 |
| 4. | स्नातक | 16 | 5.3 |
| 5. | स्नातकोत्तर | 2 | 0.6 |
| 6. | अन्य | 11 | 3.6 |
| | कुल | 300 | 99.8 |

प्रमाण विचलन = 56.05
प्रमाप विचलन गुणांक = 1.12

उपरोक्त तालिका में चयनित समूहों के सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि चयनित समूह के 55.0 प्रतिशत सदस्य साक्षर थे जिन्हें मात्र अपने हस्ताक्षर करना आता है। हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों का प्रतिशत 21.3 था जबकि हायर सेकेन्ड्री तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की संख्या 14.0 प्रतिशत थी। इसी प्रकार स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों का प्रतिशत क्रमशः 5.3 एवं 0.6 था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित समूह के सदस्य अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं।

**सारिणी 2:** समूह की बचत

| क्र0सं0 | समूह की बचत (रू0) | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 – 200 | 27 | 9.0 |
| 2. | 201 – 500 | 81 | 27.0 |
| 3. | 501 – 800 | 54 | 18.0 |
| 4. | 801 – 1100 | 33 | 11.0 |
| 5. | 1100 से अधिक | 105 | 35.0 |
| | कुल | 300 | 100.0 |

समूह के सदस्यों द्वारा बचत की राशि के बारे में उनके विचार जानने का प्रयास किया गया है, तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि लगभग 9.0 प्रतिशत समूह के सदस्यों द्वारा 200 रू0 तक मासिक बचत कर समूह निधि में जमा की जाती है। जबकि 27.0 प्रतिशत समूह 500 रू0 तक मासिक बचत कर लेते हैं 18.0 प्रतिशत समूह 800 रू. मासिक बचत 11 प्रतिशत समूह 1100 मासिक बचत एवं 35 प्रतिशत समूह 1100 रू0 से अधिक की बचत करते हैं।

**सारिणी 3:** समूह के सदस्य बनने से पूर्व सदस्यों की आय

| क्र0सं0 | सदस्यों की आय (रू0) | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | शून्य से 1500 | 27 | 9.0 |
| 2. | 1500 से 3000 | 213 | 71.0 |
| 3. | 3000 से अधिक | 60 | 20.0 |
| | कुल | 300 | 100.0 |

इस तालिका के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि अध्ययन के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के सदस्य बनने के पूर्व उनकी आय क्या थी। 9.0 प्रतिशत सदस्यों की समूह के सदस्य बनने से पूर्व मासिक आय रू0 1500 तक थी, 7.0 प्रतिशत सदस्यों की मासिक आय रू0 1500 से 3000 के मध्य थी, 20.0 प्रतिशत सदस्यों की आय रू0 3000 से अधिक थी इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समूह के अधिकांश सदस्य गरीबी या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते रहे हैं।

**सारिणी 4:** समूह के सदस्य बनने के पश्चात सदस्यों की आय में वृद्धि

| क्र0सं0 | सदस्यों की आय में वृद्धि (रू0) | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 100 – 500 | 51 | 17.0 |
| 2. | 500 – 1000 | 192 | 64.0 |
| 3. | 1000 से अधिक | 57 | 19.0 |
| | कुल | 300 | 100.0 |

सर्वेक्षण के दौरान 17.0 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया कि समूह के सदस्य बनने के प्श्चात उनकी मासिक आय में 100–500 रू0 तक वृद्धि हुई है। जबकि 64.0 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया कि उनकी मासिक आय में रू0 500 से 1000 तक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 19.0 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया कि उनकी मासिक आय में रू0 1000 से अधिक की वृद्धि हुई है।

**सारिणी 5:** स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की स्थिति

| क्र0सं0 | माल के विक्रय की स्थिति | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | स्थानीय बाजार में विक्रय | 294 | 98.0 |
| 2. | एनजीओ द्वारा विक्रय | 3 | 1.0 |
| 3. | सरकारी एजेंसियों द्वारा विक्रय | 3 | 1.0 |
| | कुल | 300 | 99.8 |

तालिका में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय हेतु बाजार के बारे में जानने का प्रयास किया गया। सर्वेक्षण के दौरान चयनित समूहों के 98.0 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया कि वे स्वयं ही अपने द्वारा उत्पादित माल को स्थानीय बाजार में बेचने का प्रयास करते हैं। वहीं क्रमशः 1–1 प्रतिशत सदस्यों ने बताया कि उनके उत्पादित माल को एनजीओ एवं सरकारी एजेंसियों के द्वारा क्रय कर लिया जाता है। अतः तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश समूहों के सदस्य अपने द्वारा उत्पादित माल को स्थानीय बाजार में स्वयं बेचने का प्रयास करते हैं। अर्थात उनके द्वारा उत्पादित माल के विक्रय हेतु एनजीओ या सरकारी एजेंसी की भूमिका लगभग नगण्य है।

**सारिणी 6:** उद्योग चलाने में समूह एवं परिवार का पूरा सहयोग

| क्र0सं0 | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 281 | 93.6 |
| 2. | नहीं | 19 | 6.3 |
| | कुल | 300 | 99.9 |

उपरोक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि 93.6 प्रतिशत समूह की महिलायें मानती हैं कि उन्हें परिवार का सम्पूर्ण सहयोग मिलता है, वहीं 6.3 प्रतिशत मानती हैं कि उन्हें कई स्थितियों में परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं पाता किन्तु आर्थिक स्वतंत्रता की चाह के चलते वे समूह में कार्य कर रहीं हैं।

## निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूह का महिलाओं की आत्मनिर्भरता से गहरा सम्बन्ध है। स्वयं सहायता समूह इसलिए बनाये जाते हैं कि महिलायें एक जुट होकर कार्य करें। इससे आर्थिक उन्नति तो होती ही है तथा समाज में भी एक जुटता देखने को मिलती है।

## सुझाव

1. स्वयं सहायता समूह के विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य स्तर पर महिला औद्योगिक विकास बैंक (वोमेन इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक) की स्थापना किया जाना चाहिए जो स्वयं सहायता समूहों को ऋण एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें मुहैया करा सकें। इसके अलावा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को अपनी शाखाओं

में एक महिला उद्यमिता परामर्श केन्द्र (वोमेन इण्टरप्रोन्योरर्स गाइडेंस सेल) की स्थापना भी करनी चाहिए जिससे महिला समूहों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान करें।

2. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए सस्ती दर पर सामूहिक बीमा योजनायें चलायी जानी चाहिए ताकि उनमें आर्थिक सुरक्षा की भावना जागृत हो सके।

## संदर्भ

1. Khan SS. Entrepreneurial Development, S. Chand and Sons, New Delhi, 2000.
2. Sinha SK. Entrepreneurship and Rural Development, Shree Publishers & Distributors, New Delhi, 2007.